भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

23 DEC 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 512445

1

विक्रय मूल्य	: रू.	33, 00,000 /–
मालियत	: रू.	32, 53, 000 /–
स्टाम्प शुल्क	: रू.	1,55,000 /–
परगना व तहसील	:	देवा व नवाबगंज

विक्रय – पत्र

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1– भूमि का प्रकार : कृषि

2– परगना : देवा

Mamta Agarwal

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

23 DEC 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 512446

3– ग्राम : बरेठी, जिला – बाराबंकी। (वी – कोड 1167 / पेज नंबर 99 व 56)

4– सम्पत्ति का विवरण : खसरा संख्या 692 कुल क्षेत्रफल 0.360 हेक्टेयर

5– मापन की इकाई : हेक्टेयर।

6– विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल: 0.360 हेक्टेयर

7– सड़क की स्थिति : कुछ नहीं।

8– अन्य विवरण : 0 से 100 मीटर की त्रिज्या में आवासीय गतिविधि

9– सम्पत्ति का प्रकार : कृषि /सड़क से हटकर

बैजनाथ

Mamta Agarwal

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

23 DEC 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 512447

7– सहकारी आवास समिति के सदस्य से संबंधित है : नहीं

9– विक्रीत भूमि (खसरा संख्या 692) की चौहद्दी

पूरब	: चकमार्ग
पश्चिम	: बैजनाथ एवं पुष्पा मित्तल
उत्तर	: विमला देवी आदि
दक्षिण	: चकमार्ग

प्रथम पक्ष (1)
विक्रेता का विवरण

बैजनाथ पुत्र रामआसरे निवासी – ग्राम – बरेठी, परगना देवा, तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी।

नि0का0सं0 UP/29/143/369305

बैजनाथ

द्वितीय पक्ष (1)
क्रेता का विवरण

श्रीमती ममता अग्रवाल पत्नी श्री किशोर चन्द्र अग्रवाल, निवासिनी – 4, तुलसीदास मार्ग चौक, लखनऊ।

पैन नं0 ADXPA0837F

Mamta Agarwal

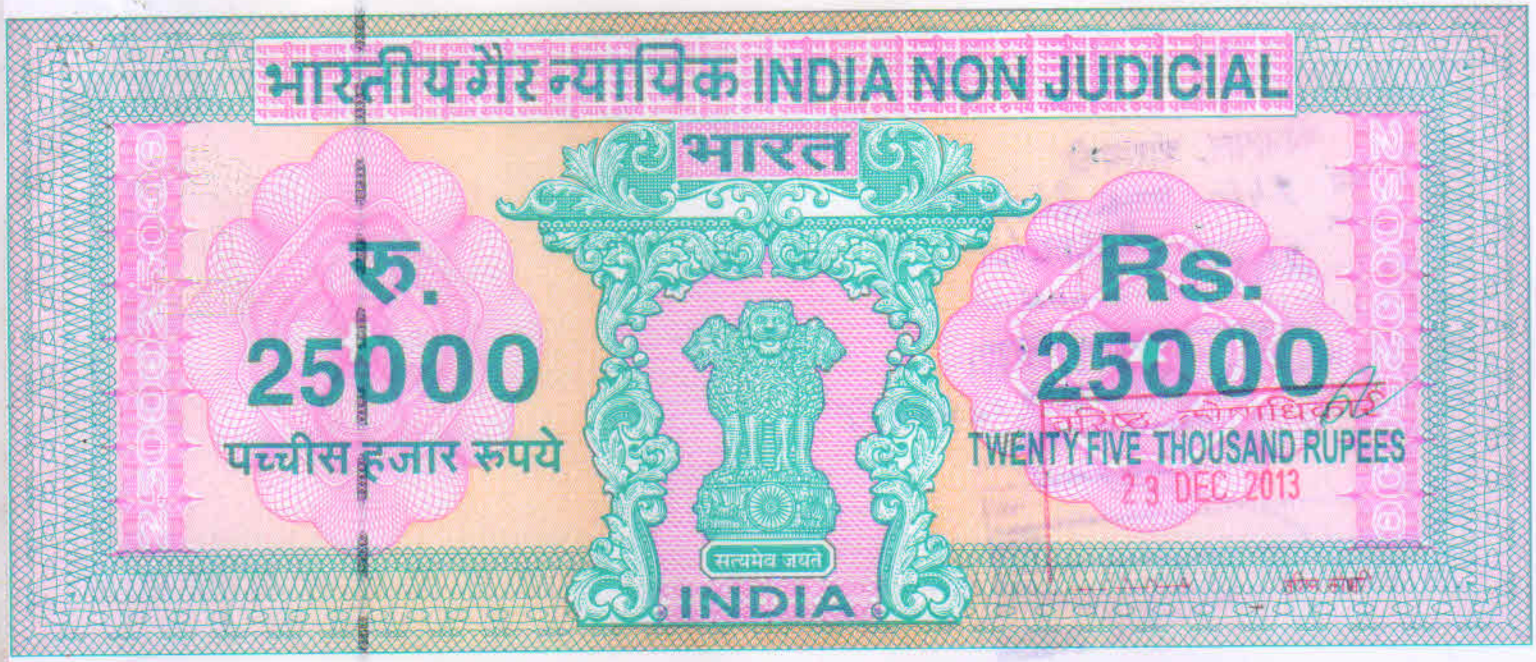

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 512448

विक्रय – विलेख

यह विक्रय – विलेख **बैजनाथ पुत्र रामआसरे निवासी – ग्राम – बरेठी, परगना देवा, तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी।** (जिन्हें एतत् पश्चात् विक्रेता कहा गया है तथा जिसमें इनके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि आदि सम्मिलित हैं)

....

प्रथम पक्ष

एवं

श्रीमती ममता अग्रवाल पत्नी श्री किशोर चन्द्र अग्रवाल, निवासिनी – 4, तुलसीदास मार्ग चौक, लखनऊ। (जिसको एतत्

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

23 DEC 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 512449

पश्चात् क्रेता कहा गया है तथा जिसमें इनके उत्तराधिकारी एवं प्रतिनिधि आदि सम्मिलित हैं)

.... द्वितीय पक्ष

के मध्य निष्पादित किया गया है।

यह कि श्रीमती सरोज कुमारी पुत्री दयाशंकर गाटा संख्या 692 (पुराना गाटा संख्या 399) स्थित ग्राम – बरेठी, परगना – देवा, तहसील – नवाबगंज, जिला – बाराबंकी, (जिसे इस विक्रय विलेख में विक्रीत सम्पत्ति कहा गया है) की संक्रमणीय भूमिधर थी।

बैजनाथ

Mamta Agarwal

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL
भारत
रु.20000
बीस हजार रुपये
TWENTY THOUSAND RUPEES
Rs.20000
सत्यमेव जयते
INDIA
23 DEC 2013
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
A 832283

यह कि श्रीमती सरोज कुमारी ने विक्रीत सम्पत्ति दिनॉक 07/07/1962 को श्री बैजनाथ पुत्र राम आसरे के पक्ष में अंतरित कर दिया था।

यह कि अंतरण के समय बैजनाथ अवयस्क थे अतः संरक्षक के रुप में बैजनाथ के पिता रामआसरे विक्रय विलेख में सम्मिलित हुए।

यह कि बैजनाथ चार भाई है जिनका नाम क्रमशः बैजनाथ, भगवती प्रसाद, कमलेश निगम एवं राम लखन हैं। राम लखन की मृत्यु हो चुकी है वर्तमान में राम लखन की विधवा एवं दो पुत्र उनके उत्तराधिकारी है।

बैजनाथ

Mamta Agarwal

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

18 DEC 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

551217

यह कि बैजनाथ के अन्य दो भाई भगवती प्रसाद, कमलेश निगम एवं राम लखन की पत्नी को इस विक्रय विलेख के निष्पादन में कोई आपत्ति नहीं है तथा बैजनाथ के भाइयों एवं उनके उत्तराधिकारियों द्वारा विक्रीत सम्पत्ति में कोई हिस्सा अथवा हिस्सा प्राप्त करने के लिए कोई कार्यवाही न करने का आश्वासन दिया गया हैं।

यह कि विक्रेता अपनी घरेलू आवश्यकता की पूर्ति हेतु गाटा संख्या 692 क्षेत्रफल 0.360 हेक्टेयर स्थित ग्राम – बरेठी, परगना – देवा, तहसील – नवाबगंज, जिला – बाराबंकी में स्थित कृषि भूमि को विक्रय करने का इच्छुक था। विक्रीत सम्पत्ति के 0–100 मीटर

बैजनाथ

Mamta Agarwal

की त्रिज्या में आवासीय गतिविधि विद्यमान है किन्तु विक्रीत सम्पत्ति के 0–200 मीटर की त्रिज्या में कोई औधोगिक व व्यवसायिक गतिविधियॉ नहीं हो रही हैं ।

यह कि विक्रेता एवं क्रेता भारतीय नागरिक हैं तथा उभय पक्ष अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य नहीं हैं ।

यह कि विक्रीत कृषि भूमि खसरा 692 क्षेत्रफल 0.360 हेक्टेयर, में कोई ट्यूब बेल, नलकूप, तालाब, कुँआ एवं निर्माण नहीं है किन्तु वृक्ष विद्यमान हैं।

यह कि क्रेता कृषि प्रयोजन हेतु भूमि क्रय करना चाहती है अतः क्रेता कृषि भूमि क्रय करने के प्रयोजन से विक्रेता से सम्पर्क किया। विक्रेता अपनी पारिवारिक अवश्यकता की पूर्ति हेतु विक्रीत कृषि भूमि खसरा संख्या 692 क्षेत्रफल 0.360 हेक्टेयर विक्रय करने के लिए सहमत हो गया।

यह कि विक्रेता ने क्रेता को आश्वासन दिया है कि उसके द्वारा विक्रीत कृषि भूमि में यदि स्वामित्व संबंधी कोई त्रुटि किसी भी समय पाई जाती है और उस त्रुटि के आधार पर क्रेता को विक्रीत कृषि भूमि के किसी अंश से वंचित होना पड़ता है, ऐसी स्थिति में विक्रेता का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा कि वह क्रेता को हुई क्षति की क्षतिपूर्ति उसके प्रतिफल के बराबर करेगा, यह उत्तरदायित्व विक्रेता के अतिरिक्त उसके उत्तराधिकारी तथा उसके माध्यम से किसी भी प्रकार का दावा करने वाले व्यक्ति पर भी लागू होगा। यदि विक्रेता

बैजनाथ

Mamta Agarwal

अथवा उसके उत्तराधिकारी क्रेता की क्षतिपूर्ति करने में असफल होते हैं तब क्रेता को अधिकार होगा कि वह विक्रेता की चल व अचल सम्पत्ति से हुई क्षति की वसूली कर लें, उसे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

यह कि विक्रेता को अपने परिवार के भरण पोषण एवं अन्य आवश्यकताओं हेतु रुपयों की नितान्त आवश्यकता है, अतः विक्रेता ने विक्रीत कृषि भूमि को विक्रय करने का निश्चय किया है।

यह कि विक्रेता उक्त कृषि भूमि को क्रेता के पक्ष में हर प्रकार से स्वच्छ एवं पूर्ण स्वामित्व सहित अंतरण करने के साथ ही क्रेता को रिक्त एवं शान्तिपूर्ण कब्जा इस विक्रय – विलेख के माध्यम से सौंप दिया हैं।

अतः इस विक्रय विलेख की शर्ते निम्नवत हैं।

1– यह कि क्रेता विक्रेता को प्रतिफल के रूप में रूपया 33,00,000/– (रूपये तैंतीस लाख मात्र) भुगतान कर चुका है। जिसकी प्राप्ति/ रसीद विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में जारी कर दिया हैं। जिसका सम्पूर्ण विवरण इस विक्रय विलेख के अंत में उल्लिखित किया गया है।

2– यह कि विक्रेता ने प्रतिफल के रूप में रूपया. 33,00,000/– (रूपये तैंतीस लाख मात्र) प्राप्त करने के पश्चात् क्रेता को खसरा संख्या 692 क्षेत्रफल 0.360 हेक्टेयर का विधिक व भौतिक कब्जा विक्रेता द्वारा प्रदान कर दिया है, तथा क्रेता

बैजनाथ

Mamta Agarwal

उक्त कृषि भूमि को स्वेच्छा से उपयोग एवं उपभोग करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है, तथा क्रेता को उक्त भूमि से संबंधित समस्त प्रकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं जो अभी तक विक्रेता को प्राप्त थे।

3– यह कि उक्त कृषि भूमि का उपयोग एवं उपभोग क्रेता द्वारा बिना किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप एवं बाधा के स्वेच्छा से किया जायेगा । उक्त कृषि भूमि के उपयोग एवं उपभोग में विक्रेता अथवा उसके किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप/अवरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा।

4– यह कि विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में उक्त कृषि भूमि को समस्त भार से मुक्त अंतरित किया है तथा विक्रीत भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई भार नहीं है, तथा इस विक्रीत भूमि के स्वामित्व में कोई दोष एवं त्रुटि नहीं है।

5– यह कि विक्रीत कृषि भूमि खसरा संख्या – 692 क्षेत्रफल 0.360 हेक्टेयर सड़क से हटकर स्थित है, और उक्त कृषि भूमि किसी भी जनपद मार्ग, लिंक मार्ग, एवं अन्य मार्ग पर स्थित नहीं हैं। किन्तु चकमार्ग पर स्थित हैं। उक्त कृषि भूमि आबादी के 0 से 100 मीटर की परिधि में स्थित है। इसके अतिरिक्त ग्राम – बरेठी, परगना देवा एवं जनपद बाराबंकी में स्थित खसरा संख्या 692 की भूमि का भू–उपयोग धारा 143 उ0 प्र0 जंमीदारी

बैजनाथ

Mamta Agarwal

उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950, के अंर्तगत परिवर्तित नहीं किया गया है।

6– यह कि इस विक्रय – विलेख के निष्पादन की तिथि तक के समस्त भू – राजस्व का भुगतान विक्रेता द्वारा किया जायेगा। तत्पश्चात् क्रेता द्वारा समस्त भू – राजस्व का भुगतान किया जायेगा।

7– यह कि इस विक्रय विलेख के निष्पादन मात्र से ही क्रेता को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है, कि विक्रेता के स्थान पर जनपद के राजस्व अभिलेख में खसरा संख्या – 692 क्षेत्रफल 0.360 हेक्टेयर के सम्बन्ध में अपना नाम प्रविष्ट करा लें। इस नामान्तरण कार्यवाही में विक्रेता को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी तथा आवश्यकतानुसार क्रेता के नामान्तरण की कार्यवाही में यथा सम्भव सहयोग प्रदान करने हेतु सहमत हैं।

8– यह कि इस विक्रय – विलेख के माध्यम से गाटा संख्या 692 सम्पूर्ण क्षेत्रफल 0.360 हेक्टेयर अन्तरित किया जा रहा है। विक्रीत भूमि ग्राम – बरेठी, परगना–देवा, जनपद–बाराबंकी में स्थित है विक्रीत सम्पत्ति की 0–100 मीटर की त्रिज्या में आवासीय गतिविधिया विद्यमान है किन्तु विक्रीत सम्पत्ति के 0–200 मीटर की त्रिज्या में कोई औद्योगिक व व्यवसायिक गतिविधियां नहीं हो रही है। विक्रीत सम्पत्ति से सम्बन्धित विक्रय

Mamta Agarwal

विलेख के पंजीकरण एवं उस पर देय स्टाम्प शुल्क भुगतान हेतु जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा रू.60,00,000/–प्रति हेक्टेयर की दर निश्चित की गयी है जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा जारी रेट लिस्ट के निर्देश संख्या–10 के अनुसार 0.025 हेक्टेयर की भूमि का मूल्यांकन अकृषक भूमि की दर से किया जाने का प्राविधान है। अतएव 0.025 हेक्टयर का मूल्यांकन रू.2,500/– रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से रू.6,25,000/– तथा शेष भूमि 0.335 हेक्टेयर भूमि का मूल्यांकन रू. 60,00,000/– प्रति हेक्टेयर की दर से रू. 20,10,000/– होता है। विक्रीत सम्पत्ति पर 31 आम के पेड़ तीन नीम के पेड़ एक आवला का पेड़ एक पकड़िया, एक जामुन व एक कटहल का पेड़ स्थित है जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा नियत दर से उक्त वृक्षों का मूल्यांकन रू.6,17,880/– होता है। अतः विक्रीत सम्पत्ति का मूल्यांकन रू.6,25,000/– + रू.20,10,000/– + 6,17,880/– = रू.32,52,880/– होता है। विक्रय मूल्य रू.33,00,000/– है तथा विक्रय विलेख महिला के पक्ष में निष्पादित होने के कारण इस विक्रय विलेख में रू. 1,55,000/– का स्टाम्प शुल्क भुगतान किया गया है।

विक्रीत सम्पत्ति

विक्रीत गाटा संख्या 692 (पुराना गाटा संख्या 399) स्थित ग्राम – बरेठी, परगना – देवा, तहसील – नवाबगंज, जिला – बाराबंकी, : चौहद्दी निम्नवत हैं ।

बैजनाथ

Mamta Agarwal

विक्रय पत्र

3,300,000.00 /	3,253,000.00	10,000.00	20	10,020.00	600
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्रीमती ममता अग्रवाल
पत्नी श्री विशोर चन्द्र अग्रवाल
व्यवसाय गृहिणी
निवासी स्थायी 4 तुलसीदास मार्ग चौक लखनऊ पैन नं0 ADXPA 0837F
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 2/1/2014 समय 12:26PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

Mamta Agarwal

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम0 प्रसाद (प्रभारी)
उप निबन्धक नवाबगंज
बाराबंकी
2/1/2014

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री बैजनाथ
पुत्र श्री रामआसरे
पेशा कृषि
निवासी बरेठी पर0 देवां बाराबंकी वो0सं0 29/143/369305

बैजनाथ

क्रेता

श्रीमती ममता अग्रवाल
पत्नी श्री विशोर चन्द्र अग्रवाल
पेशा गृहिणी
निवासी 4 तुलसीदास मार्ग चौक लखनऊ पैन नं0 ADXPA 0837F

Mamta Agarwal

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री रामसजीवन
पुत्र श्री मथुरा प्रसाद
पेशा कृषि
निवासी बरेठी पर0 देवां बाराबंकी

रामसजीवन

व श्री भगौती प्रसाद
पुत्र श्री रामआसरे
पेशा कृषि
निवासी बरेठी पर0 देवां बाराबंकी

भगौती प्रसाद

ने की ।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम0 प्रसाद (प्रभारी)
उप निबन्धक नवाबगंज
बाराबंकी

पूरब	: चकमार्ग
पश्चिम	: बैजनाथ एवं पुष्पा मित्तल
उत्तर	: विमला देवी आदि
दक्षिण	: चकमार्ग

विक्रीत भूमि के प्रतिफल का भुगतान

क्रेता ने विक्रेता को रूपया 33,00,000/- (रूपया तैंतीय लाख मात्र) चेक संख्या 143982 दिनॉक 24/12/2013 बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा चौक, लखनऊ के माध्यम से भुगतान किया।

इस प्रकार क्रेता ने विक्रेता को कुल रूपया 33,00,000/- (रूपये तैंतीस लाख मात्र) का भुगतान कर चुकी है। विक्रेता उक्त भुगतान की स्वीकृत क्रेता के पक्ष में प्रदान कर दिया हैं। अतः यह विक्रय विलेख बिना किसी अनुचित दबाव के साक्षीगणों के समक्ष् विक्रेता एवं क्रेता द्वारा निष्पादित किया गया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे तथा दोनों पक्षों के फोटो की पहचान उनके

बैजनाथ

Mamta Agarwal

विक्रेता

Registration No.: 80 Year : 2,014 Book No. : 1

0101 बैजनाथ बैजनाथ

रामआसरे

बरेठी पर0 देवां बाराबंकी वो0सं0 29/143/369305

कृषि

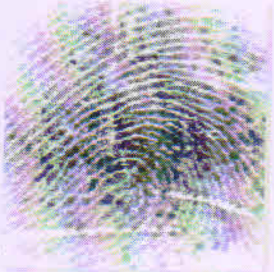

द्वारा दाखिल कराये गये साक्ष्य के आधार पर की गयी है। जिसकी फोटो प्रति प्रपत्र के साथ में सलग्न हैं। विक्रीत भूमि पर कोई स्टाम्प वाद नहीं है । उक्त पक्षकारों ने इस लेखपत्र को पढ़ व सुनकर समझ लेने के पश्चात् ही लेखपत्र पर हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा लगाया है।

दिनांक : 02.01.2014

Mamta Agarwal

गवाह-1 – [illegible] पुत्र श्री मथुरा प्रसाद ग्रा० [illegible] परगना देवां बाराबंकी

गवाह-2 – [illegible] बाराबंकी

3/3/14

6506/14

क्रेता

Registration No. : 80 Year : 2,014 Book No. : 1

0201 **ममता अग्रवाल** Mamta Agarwal

किशोर चन्द्र अग्रवाल

4 तुलसीदास मार्ग चौक लखनऊ पैन नं0 ADXPA 0837F

गृहिणी

नजरी नक्शा

भूमि स्थित ग्राम : बेरछी प० तैय्या बामावली

विक्रीत खसरा न0 : 692

विक्रेता : बैजनाथ

क्रेता : श्रीमती ममता अग्रवाल

25 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित समस्त परिसम्पत्तियों का विवरण

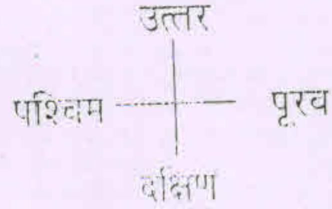

विक्रेता

बैजनाथ

क्रेता

Mamta Agarwal

आज दिनांक **02/01/2014** को

वही सं. **1** जिल्द सं. **7293**

पृष्ठ सं. **239** से **268** पर कमांक **80**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम0 प्रसाद ~~(प्रभारी)~~

उप निबन्धक नवाबगंज

बाराबंकी

2/1/2014

भाग 1

| प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला |

उप निबन्धक नवाबगंज क्रम सं0 190

बाराबंकी

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 02-Jan-2014

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम ममता अग्रवाल

लेख का प्रकार विक्रय पत्र

प्रतिफल की धनराशि 3,300,000.0 / 3,253,000.00

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 10,000.0
2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 20
3. निरीक्षण या तलाश शुल्क
4. मुख्तारनामा के अधिप्रमाणी करण के लिए शुल्क
5. कमीशन शुल्क
6. विविधि
7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 10,020.0

शुल्क वसूल करने का दिनांक 02-Jan-2014

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र
वापस करने के लिए तैयार किया 02-Jan-2014

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर ____________________

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 48010200014 ग्राम का नाम : बरेठी परगना देवा तहसील : नबाबगंज

जनपद : बाराबंकी फसली वर्ष : 1419-1424 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे .)	खातेदार व्दारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सांराश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।								
00200	बैजनाथ	रामआसरे	नि. ग्राम	1409फ.	692 828	0.3600 0.0470		1421फ. आदेशानुसार श्रीमान तह.महो.नवाबगंज वाद सं. 1466/07.02.14द्वारा गाटा सं.692/0.360मा.गु. परता खाता से बैजनाथ पुत्र रामआसरे नि.ग्राम बरेठी,पर देवा,तह नवाबगंज,बाराबंकी का नाम खारिज करके श्रीमती ममता अग्रवाल पत्नी किशोर चन्द्र अग्रवाल नि.4तुलसीदास मार्ग चौक लखनऊ का नाम द्वारा बैनामा / 02.1.14के आधार पर सं भू दर्ज हो। ह.र.का.12.02.14	
				कुल गाटे :	2	कुल क्षे : 0.4070	50.00		

हस्ताक्षर

मदन मोहन सिंह